

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना-कुचामन
पीठासीन अधिकारी-श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या- 54/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/153

प्रार्थी	अप्रार्थी
रामलाल जाट, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन), जिला रसद कार्यालय, डीडवाना-कुचामन।	श्री सांवरसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री रतनसिंह निवासी बांसडा मैसर्स जय मां भवानी मिष्ठान भण्डार बूडसू

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए. सपटित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तसुदा सामग्री के निस्तारण बाबत।

उपस्थित:-

1. श्री रामलाल जाट प्रवर्तन निरीक्षक प्रार्थी की ओर से
2. स्वयं अप्रार्थी

—:आदेश:—

दिनांक: 11.11.2024

प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी डीडवाना द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत है:-

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्रांक एफ. 65 (1) खावि/एलपीजी/2024 दिनांक 10.09.2024 की पालना में घरेलू गैस के अवैध गैस के अवैध भण्डारण/व्यापार/दुरुपयोग के विरुद्ध अभियान के तहत दिनांक 25.09.2024 को श्री विरेन्द्रसिंह जाखड जिला रसद अधिकारी, डीडवाना-कुचामन के नेतृत्व में श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक व श्री ओमेन्द्रकुमार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा सदर बाजार बूडसू स्थित मैसर्स जय भवानी मिष्ठान भण्डार पर आकस्मिक जांच की कार्यवाही की। मौके पर श्री सांवरसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री रतनसिंह निवासी बांसडा उपस्थित मिले, जिन्होंने दुकान का निरीक्षण करवाया। मौके पर दुकान में 02 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर व्यवसायिक दुरुपयोग/भण्डारण किया हुआ पाया गया। श्री सांवरसिंह राजपुरोहित से घरेलू गैस के भण्डारण एवं विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछताछ करने पर इनके



जिला कलक्टर
डीडवाना-कुचामन



के भण्डारण से सम्बन्धित किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नहीं होना अपने बयानों में स्वीकार किया। श्री सांवरसिंह राजपुरोहित द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर भण्डारित/दुरुपयोग किये गये 02 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किये गये। जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसर है:-

क्र.सं.	नाम कम्पनी	एस.आर.नं.	गैस वजन
1.	इण्डेन	368438-T	0
2.	इण्डेन	945650-S	14.2 किग्रा

उपरोक्त 02 घरेलू रसोई गैस को मय गैस मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स कुचामन गैस सर्विस कुचामन के प्रतिनिधि श्री महेन्द्रसिंह की सुपुर्दगी में दिय गये।

इस प्रकार श्री सांवरसिंह राजपुरोहित का यह कृत्य लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाइ एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, - 2000 के क्लॉज 3 (c), 7(1)(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लंघन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तसुदा 02 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (confiscaion) के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। अप्रार्थी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि मेरे नाम से घरेलू गैस कनेक्शन नं0 8454 दिनांक 03.04.2017 का लिया हुआ है। मैं मेरी खाली टंकी लेकर बुडसु भरवाने के लिए आया हुआ था। जिस होटल पर मैं बैठा था वहां आकर मुझे गैस टंकी सहित फोटो खिंची व उस दिन मेरे पास डायरी नहीं होने के कारण मेरे सिलेण्डर जप्त कर लिये। अतः मेरे विरुद्ध की गई कार्यवाही ड्रॉप फरमावें।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि होटल संचालक श्री सांवरसिंह राजपुरोहित के होटल पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर प्राप्त हुए। श्री सांवरसिंह के पास जांच के समय किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं पाए गए व सांवरसिंह ने आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया। आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र पेश नहीं करने पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किये गये। जब्त किये गये सिलेण्डर मैसर्स कुचामन गैस सर्विस कुचामन के प्रतिनिधि

जिला कलेक्टर
डीडवाना-कुचामन




श्री महेन्द्रसिंह को प्रकरण में निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द किये गये। अतः प्रकरण में जब्तसुदा घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत समपहरण (Confiscation) के आदेश प्रदान करावें।

बहस के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर पाए गए। जांच के समय श्री सांवरसिंह राजपुरोहित के पास किसी भी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यापारिक उपयोग में किया जा रहा था। दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किए जाने पर घरेलू गैस सिलेण्डर को अवैध मानते हुए जप्त सरकार लिये गये। घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण एवं उपयोग के लिए वैध अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है। दौराने जांच मौके पर अथवा न्यायालय हाजा में ऐसी कोई अनुज्ञप्ति रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार प्रकरण में मौके पर की गई कार्यवाही सही प्रतीत होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार की जाती है। प्रकरण में 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का समपहरण (Confiscation) किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में जब्तसुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, डीडवाना-कुचामन को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।




(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना-कुचामन
जिला कलक्टर
डीडवाना-कुचामन